

जा 4168

25-11-17

संशोधित

प्रारूप क्रमांक-1

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र

(देखिये नियम 3)

1. समिति का नाम :- दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति
2. समिति का कार्यालय :- दैपुरिया निवास, भूता बाजार, भिण्ड (म0प्र0)
3. मोहल्ले का नाम :- भूता बाजार भिण्ड मकान नं 75/5  
तहसील भिण्ड जिला-भिण्ड म0प्र0 में स्थित होगा
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

1. सामान्य शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, तकनीकी तथा व्यावसायिक, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, व्यायाम शिक्षा एवं कृषि विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना करना।
2. अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अपंगों, गूंगों, तथा बधिरों को शिक्षा की व्यवस्था तथा उनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ करना।
3. हरिजन वस्तियों तथा उपेक्षितों में शिक्षा का प्रसार करना।
4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के आश्रितों के बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षा व्यवस्था में योजनाएं बनाना तथा लागू करना।
5. बालिकाओं तथा महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था करना।
6. ग्राम स्वराज एवं पंचायतीराज की भावनाओं के अनुकूल ग्राम उत्थान हेतु क्रियात्मक एवं जागृति हेतु ज्ञानवर्धक तथा राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।
7. नशामुक्ति हेतु शिविरों का आयोजन करना।
8. समाज में व्याप्त नीतियों का उन्मूलन एवं युवाओं का समुचित विकास करना।
9. युवाओं में बढ़ती हुयी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेलों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना तथा विभिन्न खेलों का आयोजन करना, शिविरों का आयोजन करना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए पुरुष्कृत करना।
10. पर्यावरण एवं प्रदूषण के लिए कार्य करते हुए वृक्षारोपण करना।
11. महिला बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत झूलाघर, आँगनवाडी बालवाडी संचालित करना।
12. समाज के कमजोर व अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समाज कल्याणकारी योजनाएं बनाना एवं संचालित करना।
13. अल्पसंख्यकों के लिए उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी, माध्यम से विद्यालयों का संचालन करना एवं मदरसों का संचालन करना।
14. विभिन्न प्रकार के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को संचालित करना तथा आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों का संचालन करना।



12.8.17  
अध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

सचिव  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

15. समय की आवश्यकतानुसार समिति द्वारा रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी अन्य कार्यक्रमों को संचालित करना।
16. शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि माध्यमों से क्षेत्रीय भाषा एवं बोली में शिक्षा देने हेतु मदरसा, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, कम्प्यूटर कोर्स कम्प्यूटर साफ्टवेयर, हार्डवेयर प्रशिक्षण एवं कॉलेज व संस्थान का संचालन करना, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना अल्पसंख्यक योजनाओं का प्रचार प्रसार करना जन अभियान परिषद् के अंतर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
17. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश से एवं सेंट्रल बोर्ड आफ एजुकेशन (सी.बी.एस.ई) आई.सी.एस.ई./शासन/ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, डी.एड., बी.एड, एम.एड, डी.फार्मा, एम. फार्मा, फार्मा.डी., पी.जी.डी. सी.ए., डी सी ऐ, एम.सी.ए., बी.सी.ए., बी.बी.ए., एम.बी.ए., आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक एवं नर्सिंग कॉलेज ए.एन.एम., जी.एन.एम., पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग, एम. एस.सी. नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, तथा सभी पैथी के चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षा प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना, कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रशिक्षण देना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स का संचालन करना, इंजीनियरिंग टेक्निकल व टक्नोलॉजी की उच्च शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग महाविद्यालय, का संचालन करना तथा विधि शिक्षा, व्यावसायिक उच्च शिक्षा, कॉलेज का संचालन करना, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन केन्द्रों का संचालन तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों का संचालन करना।
18. स्वास्थ्य केन्द्र, महिला बाल स्वास्थ्य केन्द्र व परिवार एवं परामर्श केन्द्र खोलना एवं एड्स, पल्स पोलियो तथा टीकाकरण आदि की जानकारी देना एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अस्पताल आदि का संचालन कर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।
19. अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, मूक बधिर, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगों व नेत्रहीन शारीरिक रूप से कमजोर निराश्रित अनाथ के लिए शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, संचालित करना व पंचायत एवं समाज सेवा के अंतर्गत कार्य करना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना तथा परामर्श केन्द्र का संचालन करना ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज की भावनाओं के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिए कार्य करना एवं ग्रामीण विकास हेतु पठन प्रशिक्षण, हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना, परिवार नियोजन, फ़ैमिली प्लानिंग कार्यक्रम, बाल यौन अनुपात कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम का संचालन तथा एड्स, कैंसर, पोलियो, टी.बी. हैपेटाईटिस पीलिया तथा माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य कल्याण एवं टीकाकरण की जानकारी एवं नेत्र शिविर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।
20. पीड़ित प्रताड़ित विधवा, निराश्रित विकलांग एवं जरूरतमंद तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं को तथा जरूरतमंद व गरीबों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना, नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना, परामर्श केन्द्र खोलना एवं वृद्धाश्रम संचालित करना, केयर यूनिट वा ड्रग्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा एवं सलाह देना व बढ़ती हुयी नशा प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कार्य करना व समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए कलामंडली के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना।
21. बालक बालिकाओं के शैक्षणिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु समस्त प्रकार के खेलकूद जैसे क्रिकेट, बालीबाल, हॉकी, टेबिल टेनिस,



अध्यक्ष  
अध्यक्ष

दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

सचिव  
सचिव

दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, मेहगाव भिण्ड (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष  
कोषाध्यक्ष

दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

कैरम बोर्ड, शतरंज, एथलेटिक्स के टूर्नामेंटों का आयोजन करना एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरुष्कृत एवं सम्मानित करना।

22. पर्यावरण प्रदूषण के लिये कार्य करना एवं बढ़ते हुए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय करना एवं इसकी रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण देना व प्रचार प्रसार करना। एवं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करना एवं लोगों को वृक्षारोपण करने हेतु जागृत कर प्रचार प्रसार करना।
23. ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज की भावना के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिए कार्य करना एवं ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।
24. ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक नर्सरी के संचालन हेतु ग्रामीण जड़ी बूटियों की पहचान करना वनोपज प्रशिक्षण, सिंचाई भूमि संरक्षण, भूमि के जल स्तर को बढ़ाना भूमिकरण को रोक कर कृषि को बढ़ावा देना कृषि प्रशिक्षण एवं कृषक सहयोग कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।
25. सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन करना, बाल श्रमिक विशेष स्कूल का संचालन करना उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना विधिक महिला जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना विधिक परामर्श केन्द्रों का संचालन करना। जनशिक्षा केन्द्रों का संचालन करना शिक्षण प्रशिक्षण परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना।
26. ग्रामीण क्षेत्रों में आर.एम.पी. डॉक्टरों, ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं तथा महिला कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण लोगों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना एवं प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, यौन रोग, एड्स मातृत्व शिशु टीकाकरण आदि की जानकारी प्रदान करना एवं हेल्पलाइन सेंटर परामर्श केन्द्रों, चलित स्वास्थ्य केन्द्रों तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, वजन मेलों तथा कुपोषित बच्चों की जानकारी का प्रचार प्रसार करना एवं सरकार द्वारा बॉटे जा रहे मुफ्त गर्भनिरोधक साधनों को व्यापक स्तर पर वितरित करना एवं उपयोग हेतु लोगों का प्रेरित करना।
27. महिला एवं बाल कल्याण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी एवं इस हेतु केन्द्र सरकार एवं अन्य संस्थाओं के साथ भागीदारी एवं इनके द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं का संचालन करना। कृषि रोजगार एवं स्व सहायता समूहों का निर्माण कर महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्य करना पोषण आहार वितरण तथा विपणन कार्य करना।
28. इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, हौम्योपैथिक महाविद्यालय, डेंटल कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक आई.टी.आई. नर्स एवं पैरामेडीकल प्रशिक्षण केन्द्र एवं कॉलेजों का संचालन करना तथा संचालित करना। कम्प्यूटर डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सों का संचालन करना तथा अध्ययन केन्द्रों का संचालन करना।
29. शिक्षा महाविद्यालयों, फार्मसी महाविद्यालयों, नैचुरोपैथी, चिकित्सालयों, नैचुरोपैथी महाविद्यालयों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, हौम्योपैथिक चिकित्सालयों, फिजियोथैरेपी महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों आदि का संचालन शासन एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कर संचालित करना।
30. महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिये महिला जन जागृति शिविरों का आयोजन करना। महिलाओं को सशक्त करने हेतु महिला सशक्तिकरण अभियान,



अध्यक्ष  
12/5/12  
अध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

सचिव  
सचिव  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, मैहगाव भिण्ड (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष  
कोषाध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

महिला सशक्तिकरण जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, कौशल विकास उन्नयन, प्रौढ शिक्षा, वयस्क शिक्षा एवं महिला जागृति शिविरों का आयोजन समय समय पर जरूरतमंद महिलाओं हेतु आयोजित करना।

31. योग एवं आध्यात्म की शिक्षा देना एवं शिविरों का आयोजन करना तथा प्रचार प्रसार करना।
32. उपभोक्ता जागरूकता शिविरों का आयोजन कर लोगों में जन चेतना एवं उनके अधिकारों के संरक्षण एवं विकास के लिये ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करना।
33. महिला जागृति शिविर, स्वास्थ्य शिविर, एड्स नियंत्रण शिविर, उपभोक्ता जागरूकता शिविर, कानूनी जागरूकता शिविर, विधिक सहायता शिविर, पर्यावरण जागरूकता शिविर, यातायात शिविर, योगा शिविर, एड्स नियंत्रण शिविर, कुपोषण निवारण शिविर, नेत्र शिविर, पुस्तक मेला, साक्षरता शिविर, स्वच्छता शिविर, आदि का आयोजन जरूरतमंद जगहों पर आयोजित करना।
34. स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्टार्ट अप इण्डिया, कौशल विकास प्रशिक्षण, व्ही.टी.पी., आदि से संबंधित प्रशिक्षण विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रदान कर हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ना।
35. महिला बाल विकास, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग से मान्यता प्राप्त कर नशा मुक्ति केन्द्र, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, विकलांग आश्रम, निःशक्तजन विशेष विद्यालय, बाल आश्रम, एवं अन्य शासकीय योजनाओं का संचालन शासन के साथ मिलकर करना।
36. बेटे बचाओ, घरेलू हिंसा रोकथाम, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकथाम, नशा मुक्ति रोकथाम, मोबाइल मेडीकेयर यूनिट आदि का संचालन करना।
37. यौशाला, गौरक्षा एवं पशु पक्षी देखभाल, व जीव जन्तु कल्याणार्थ कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करना।
38. समाज के वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकतानुसार, स्वच्छ वातावरण में सुन्दर व सर्वसुविधा सम्पन्न आवासीय केन्द्रों की स्थापना करना। उनके अच्छे-स्वास्थ्य हेतु प्राकृतिक चिकित्सा व योग केन्द्र स्थापित करना एवं यथासम्भव उनमें उनकी शेष शक्ति व क्षमताओं को जनउपयोगी कार्यों में लगाने की इच्छा शक्ति जागृत करना।
39. संत महापुरुषों की जयंतियों एवं पुण्यतिथियों, झोंकियों, प्रदर्शनियों एवं मेलाओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर लोगों को परिचय कराने एवं जागरूकता, प्रचार प्रसार हेतु करना।



12.8.19.  
अध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

सचिव  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

Nishim Dupuis  
कोषाध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

(5) समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है।

क्रं	नाम	पिता/पति	पद	पता	धंधा
1	श्री राधेश्याम दीक्षित	श्री सीताराम दीक्षित	अध्यक्ष	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	सेवानिवृत्त व्याख्याता
2	श्री कुलदीप दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	उपाध्यक्ष	भूता बाजार, भिण्ड (म०प्र०)	व्यापार
3	श्री अवधेश दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	सचिव	भूता बाजार, भिण्ड (म०प्र०)	व्यापार
4	श्री विपिन दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	कोषाध्यक्ष	भूता बाजार, भिण्ड (म०प्र०)	व्यापार
5	श्री सर्वेश दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	संयुक्त सचिव	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	शैक्षणिक कार्य
6	श्री सरला दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	सदस्य	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	गृहकार्य
7	श्री शिवेश दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	सदस्य	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	शैक्षणिक कार्य
8	श्री गोविन्द नारायण दीक्षित	श्री सीताराम दीक्षित	सदस्य	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	प्रोफेसर
9	श्री शिवदत्त दैपुरिया	श्री बाबूराम दैपुरिया	सदस्य	भूता बाजार भिण्ड (म०प्र०)	शासकीय टेकेदार
10	श्री सियाराम भारद्वाज	श्री रामगोपाल भारद्वाज	सदस्य	भारोली रोड, भिण्ड (म०प्र०)	व्यापार
11	श्री पवन कुमार	श्री लायकराम	सदस्य	अटेर रोड, भिण्ड (म०प्र०)	व्यापार



**R.P.D.**  
अध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

**सचिव**  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

**Vijendra Kumar**  
कोषाध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

(5) समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है। संलग्न है।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र०	निर्माणकर्ताओं के नाम	पिता/पति	पता	हस्ताक्षर
1	श्री राधेश्याम दीक्षित	श्री सीताराम दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
2	श्री कुलदीप दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	भूता बाजार, भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
3	श्री अवधेश दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	भूता बाजार, भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
4	श्री विपिन दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	भूता बाजार, भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
5	श्री सर्वेश दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
6	श्री सरला दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
7	श्री शिवेश दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
8	श्री गोविन्द नारायण दीक्षित	श्री सीताराम दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
9	श्री शिवदत्त दैपुरिया	श्री बाबूराम दैपुरिया	भूता बाजार भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
10	श्री सियाराम भारद्वाज	श्री रामगोपाल भारद्वाज	मारोली रोड, भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०
11	श्री पवन कुमार	श्री लायकराम	अटेर रोड, भिण्ड (म०प्र०)	हस्ता०



साक्षी  
हस्ताक्षर- हस्ता०  
नाम-श्री विमल कुमार दैपुरिया  
पता- अटेर रोड भिण्ड म०प्र०

10669  
21/11/06

सहायक पंजीयक फर्न्स एवं संस्थाएं  
ब्यालियर संभाग, ब्यालियर

R.S.P.  
अध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

सचिव  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, महेगाव भिण्ड (म.प्र.)

Vijendra Dimpuni  
कोषाध्यक्ष  
दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

5409/07  
2/2/08

## संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति
2. संस्था का कार्यालय : देपुरिया निवास भूता बाजार भिण्ड (म0प्र0)  
मोहल्ले का नाम- भूता बाजार भिण्ड, मकान नं 75/5  
तहसील भिण्ड, जिला - भिण्ड (म0प्र0)में स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण ढवालियर एवं चम्बल संभाग होगा।
4. समिति के उद्देश्य


1. सामान्य शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, तकनीकी तथा व्यावसायिक, स्वास्थ्य संबन्धी शिक्षा, व्यायाम शिक्षा एवं कृषि विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना करना।
2. अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अपंगों, गूंगों तथा बधिरों की शिक्षा की व्यवस्था तथा उनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना।
3. हरिजन बस्तियों तथा उपेक्षितों में शिक्षा का प्रसार करना।
4. गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वालों के आश्रितों के बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था में योजनाएं बनाना तथा लागू करना।
5. बालिकाओं तथा महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था करना।
6. ग्राम स्वराज एवं पंचायतीराज की भावनाओं के अनुकूल ग्राम उत्थान हेतु क्रियात्मक एवं जागृति हेतु ज्ञानबर्धक तथा राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता के लिये लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।
7. नशा मुक्ति हेतु शिविरों का आयोजन करना।
8. समाज में व्याप्त नीतियों का उद्मूलन एवं युवाओं का समुचित विकास करना।
9. युवाओं में बढ़ती हुई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेलों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना तथा विभिन्न खेलों का आयोजन करना, शिविरों का आयोजन करना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुये पुरूस्कृत करना।
10. पर्यावरण एवं प्रदूषण के लिए कार्य करते हुये वृक्षारोपण करना।
11. महिला बाल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत झूलाघर, आगनबाडी, बालबाडी संचालित करना।
12. समाज के कमजोर व अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समाज कल्याणकारी योजनाएं बनाना एवं संचालित करना।
13. अल्पसंख्यकों के लिये उर्दू हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों का संचालन करना एवं म्दरसों का संचालन करना।
14. विभिन्न प्रकार के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संचालित करना तथा आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों का संचालन करना।
15. समय की आवश्यकतानुसार समिति द्वारा रोजगार एवं व्यवसाय सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों को संचालित करना।

John D. P. S.

अभिने

P. S. D.  
अभिने

4 समिति के प्रबन्ध विनियमों द्वारा समिति के प्रबन्ध शास्त्री निकाय को सूीपा गया है जिनके नाम पते तथा धनों का उल्लेख निम्नांकित है—



क्र० नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1	श्री राधेश्याम दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	सेवानिवृत्त व्याख्याता
2	श्री कुलदीप देपुरिया	भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)	व्यापार
3	श्री अवधेश देपुरिया	भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)	व्यापार
4	श्री विपिन देपुरिया	भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)	शैक्षणिक कार्य
5	श्री सर्वेश दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	गृहकार्य
6	श्री सरला दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	शैक्षणिक कार्य
7	श्री शिवेश दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	प्रोफेसर
8	श्री गोविन्द नारायण दीक्षित	नबादा बाग भिण्ड (म०प्र०)	शासकीय ठेकेदार
9	श्री शिवदत्त देपुरिया	भूता बाजार भिण्ड (म०प्र०)	व्यापार
10	श्री सियाराम भारद्वाज	भारोली रोड भिण्ड (म०प्र०)	व्यापार
11	श्री पवन कुमार	अट्टे रोड भिण्ड (म०प्र०)	व्यापार

5 समिति के इस ज्ञापन - पत्र से शाला समिति से विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म०प्र० सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 ( 1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

Vishwanath Singh

कोषाध्यक्ष

श्रीधर शिला प्रसार एवं समाज कल्याण  
संस्थान, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

सचिव

श्रीधर शिला प्रसार एवं समाज कल्याण  
संस्थान, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

अध्यक्ष

श्रीधर शिला प्रसार एवं समाज कल्याण  
संस्थान, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

(5) समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा - 5 की उपधारा (1)के अधीन अधेक्षित है, संलग्न है ।  
 हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र पर निर्मांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।



क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम	पिता / पति	पता
1.	श्री राधेश्याम दीक्षित	श्री सीताराम दीक्षित	नयादा बाग भिण्ड (म.प्र.)
2.	श्री सदर्श दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	नयादा बाग भिण्ड (म.प्र.)
3.	श्री अजयश दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	भूला बाजार भिण्ड (म.प्र.)
	श्री विधिन दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	भूला बाजार भिण्ड (म.प्र.)
	श्री शिवदत्त दैपुरिया	श्री बाबूराम दैपुरिया	भूला बाजार भिण्ड (म.प्र.)
	श्री सरला दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	नयादा बाग भिण्ड (म.प्र.)
7.	श्री जिवंश दीक्षित	श्री राधेश्याम दीक्षित	नयादा बाग भिण्ड (म.प्र.)
8.	श्री कृत्तदीप दैपुरिया	श्री शिवदत्त दैपुरिया	भूला बाजार भिण्ड (म.प्र.)
9.	श्री पवन कुमार	श्री लायकराम	अदर रोड भिण्ड (म.प्र.)

श्री विमल कुमार दैपुरिया  
 R.N. 10656 दि. 11/11/14  
 बहुराजक पंजीयक, फर्मस टेंव संस्था  
 वातिघर संभाग, ग्वाडिअर  
 कोषाध्यक्ष  
 श्री विमल कुमार दैपुरिया  
 वातिघर संभाग, ग्वाडिअर  
 साक्षी, भूला बाजार भिण्ड (म.प्र.)  
 श्री विमल कुमार दैपुरिया  
 वातिघर संभाग, ग्वाडिअर  
 साक्षी, भूला बाजार भिण्ड (म.प्र.)

(5) सदस्यता :-

संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे -

(अ) संरक्षण सदस्य :-

जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये 1000/- या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य :-

जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये 500/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा, कोई भी आजीवन सदस्य रु. 500/- या अधिक देकर संरक्षण सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :-

जो व्यक्ति रुपये 50/- माह रुपये 600/- प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है तो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा। उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

सम्माननीय सदस्य :-

संस्था की प्रबन्धकारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित सम्माननीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्ति :-

प्रत्येक व्यक्ति जो कि रागिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन-पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) सदस्यों की योग्यता :-

संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

- (1) आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- (2) भारतीय नागरिक हो।
- (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
- (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) सदस्यता की समाप्ति :-

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

- (1) मृत्यु हो जाने पर।
- (2) पागल हो जाने पर।

Vidya Prakashan

दीक्षित शिक्षा प्रसार एव समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार सिण्ड (म.प्र.)

सचिव

दीक्षित शिक्षा प्रसार एव समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार सिण्ड (म.प्र.)

अध्यक्ष

दीक्षित शिक्षा प्रसार एव समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार सिण्ड (म.प्र.)

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- क- संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।  
ख- संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।  
ग- आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।  
घ- अन्य ऐसे विषयों पर विचार जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।  
च- संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय - व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।  
छ- बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबंधकारिणी का गठन :-

ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5(अ, ब, स,) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा

- (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष,  
(5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य -6

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल :-

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय जब तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य है।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।  
(ब) पिछले वर्ष का आय- व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।  
(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

त शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण

सचिव

दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

अध्यक्ष

दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
समिति, भूता बाजार भिण्ड (म.प्र.)

(11)

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- क- संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।  
ख- संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।  
ग- आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।  
घ- अन्य ऐसे विषयों पर विचार जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।  
च- संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय - व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।  
छ- बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबंधकारिणी का गठन :-

ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5(अ, ब, स,) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निर्मांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा

- (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष,  
(5) संयुक्तसचिव एवं सदस्य -6

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल :-

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय जब तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य है।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।  
(ब) पिछले वर्ष का आय- व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।  
(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

म.प्र. शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, मूला बाजार मिण्ड (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष

म.प्र. शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, मूला बाजार मिण्ड (म.प्र.)

सचिव

दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, मूला बाजार मिण्ड (म.प्र.)

अध्यक्ष

दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, मूला बाजार मिण्ड (म.प्र.)

- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।  
 (च) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण समा द्वारा समय समय पर सौंपे जाये।  
 (छ) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति प्रबंधकारिणी समिति के नाम से रहेगी।  
 (ज) संस्था द्वारा कोई भी स्थावन सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित अन्तरित नहीं की जायेगी।

(झ) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण समा की बैठक में उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण समा में कुल सदस्यो 2/3 मत से संशोधित पारित होने तक उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।  
 त - प्रबंधकारिणी विद्यालय महाविद्यालय उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा या अन्य प्रकार की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनके संचालन हेतु भूमि क्रय करना तथा भवन क्रय करना / लीज पर लेना / दान में लेना / किराये पर लेना / अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकेगी तथा आवश्यकतानुसार उस पर बंधक या भार स्थापित करने अथवा अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकेगी आवश्यकतानुसार निर्माण कराना तथा निर्माण या क्रय व अन्य आवश्यक प्रयोजनाओं हेतु बैंक या वित्तीय संस्थानों से प्रबंधकारिणी के अनुमोदन पश्चात ऋण लेना तथा उक्त ऋण संबंधी समस्त कार्यवाहियां करने व इस हेतु समस्त कार्य करने व कराने हेतु अध्यक्ष एवं सचिव तथा कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से अधिकृत रहेंगे।

### 15. अध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष साधारण समा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण समा में प्रबंध कारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयो में निर्णयात्मक होगा।

कोषाध्यक्ष

टीकित शिक्षा समिति, भूता बाजार मिण्ड (म.प्र.)

सचिव

टीकित शिक्षा समिति, भूता बाजार मिण्ड (म.प्र.)

अध्यक्ष

टीकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, भूता बाजार मिण्ड (म.प्र.)

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

- 1 साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय - समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
- 2 समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
- 3 समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितताएं पाए जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

4 सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 1000/- व्यय करने का अधिकार होगा।

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार :-

सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार :-

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(20) बैंक खाता:-

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफीस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 1000/- रहेगे।

*Signature*

कोषाध्यक्ष

शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
संस्थान, भूता बाजार मिण्ड (त.प्र.)

*Signature*  
सचिव

शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
संस्थान, भूता बाजार मिण्ड (त.प्र.)

*Signature*  
अध्यक्ष

शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण  
संस्थान, भूता बाजार मिण्ड (त.प्र.)



(25) बैंक खाता - संस्था की समस्त निधि का खाता किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(26) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना -

संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाये को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।



(27) विवाद -

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को संस्था के पदाधिकारियों की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से उभय पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति में विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

सिद्धम शर्मा  
काष्ठाध्यक्ष

संस्था के अध्यक्ष  
संस्था, भूत बाजार मंडल (ग.प्र.)

सिद्धम शर्मा  
सिद्धम शर्मा  
सिद्धम शर्मा

सुनील शर्मा

संस्था के अध्यक्ष  
संस्था, भूत बाजार मंडल (ग.प्र.)

संस्था के अध्यक्ष

सुनील शर्मा  
सुनील शर्मा  
सुनील शर्मा

सुनील शर्मा

अध्यक्ष

संस्था के अध्यक्ष  
संस्था, भूत बाजार मंडल (ग.प्र.)

सुनील शर्मा  
सुनील शर्मा

T.C.  
सुनील शर्मा  
08.02.08  
(R.J. QURESHI)  
ASSTT. REGISTRAR  
FIRMS & SOCIETIES  
GWALIOR CHAMBAL DIV  
GWALIOR (M.P.)